

S.T. No. 612/2015
CIS No. 67/2016

21.04.2022

अभियुक्त शंकर मिश्रा आज भी अनुपस्थित है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त शंकर मिश्रा लम्बे समय से अनुपस्थित चला आ रहा है तथा उसकी उपस्थिति हेतु सभी प्रक्रियायें भी पूरी की जा चुकी हैं, फिर भी अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है। अभियुक्त को फरार घोषित किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि फरार अभियुक्त शंकर मिश्रा के विरुद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करे तथा उसका नाम फरारी पंजी में अंकित करे। अभियोजन के मौखिक निवेदन पर धारा-299 द0प्र0सं0 के तहत अभियोजन साक्ष्य बंद किया जाता है। कार्यालय लिपिक अभिलेख नियमानुसार अभिलेखगार में जमा करे।

लेखापित,

अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम,